



मध्यप्रदेश विधान सभा

संक्षिप्त कार्य विवरण (पत्रक भाग-एक)

शुक्रवार, दिनांक 20 दिसम्बर, 2024 (अग्रहायण 29, 1946)

विधान सभा पूर्वाह्न 11:03 बजे समवेत हुई।
अध्यक्ष महोदय (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर) पीठासीन हुए।

1. बधाई एवं शुभकामना

मध्यप्रदेश विधान सभा अध्यक्ष महोदय के कार्यकाल का एक वर्ष पूर्ण होने संबंधी विशेष उल्लेख

आसंदी की अनुमति से श्री प्रह्लाद पटेल, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री ने श्री नरेन्द्र सिंह तोमर माननीय अध्यक्ष के कार्यकाल के एक वर्ष पूर्ण होने के संबंध में उल्लेख किया कि मुझे सदन को बताते हुये गर्व हो रहा है कि आज माननीय विधान सभा अध्यक्ष जी के कार्यकाल का एक वर्ष पूरा हो गया है। इस अवसर पर मैं आपको अनंत शुभकामनाएं देता हूँ कि आप ऐसे ही हम सबका मार्गदर्शन करते रहें।

श्री उमंग सिंघार, नेता प्रतिपक्ष द्वारा भी नवाचारों का उल्लेख कर शुभकामनाएं व्यक्त करते हुए कहा कि मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि विपक्ष की ओर से पूरा सहयोग आपको मिलता रहेगा, आपका आशीर्वाद हम सब पर बना रहे।

2. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से 10 प्रश्नों (प्रश्न संख्या 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13 पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये तथा उनके उत्तर दिये गये। प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 137 तारांकित प्रश्नों के उत्तर तथा 155 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे।

{सभापति महोदय (डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय) पीठासीन हुए।}

{अध्यक्ष महोदय (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर) पीठासीन हुए।}

3. ध्यानाकर्षण

(1) डॉ. सीतासरन शर्मा, सदस्य ने प्रदेश के गैर सरकारी संगठनों को अनुदान न दिये जाने की ओर महिला एवं बाल विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित किया। सुश्री निर्मला भूरिया, महिला एवं बाल विकास मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

(2) श्री उमंग सिंघार, सदस्य ने धार जिले के टाण्डा क्षेत्र में सिंचाई परियोजना पर कार्यवाही न होने की ओर जल संसाधन मंत्री का ध्यान आकर्षित किया। श्री नरेन्द्र शिवाजी पटेल, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा राज्यमंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

अध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार, कार्यसूची के पद 2 के उपपद (3) से (28) तक के सदस्यगण की निम्नलिखित ध्यानाकर्षण सूचनाएं तथा उन पर संबंधित मंत्रीगण द्वारा वक्तव्य पढ़े हुए माने गए -

(3) श्री जगन्नाथ सिंह रघुवंशी, सदस्य की चंद्रें क्षेत्र में आदिवासियों को मूलभूत सुविधा न मिलने संबंधी सूचना तथा जनजातीय कार्य मंत्री का वक्तव्य,

(4) श्री कैलाश कुशवाह, सदस्य की शिवपुरी जिले के कृषि उपज मंडी करेरा में फलों की बिक्री न होने संबंधी सूचना तथा किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री का वक्तव्य,

(5) श्री महेश परमार, सदस्य की विक्रम विश्वविद्यालय में अतिथि विद्वान के पद पर नियुक्ति दिये जाने में अनियमितता संबंधी सूचना तथा उच्च शिक्षा मंत्री का वक्तव्य,

(6) डॉ. चिंतामणि मालवीय, सदस्य की प्रदेश की लाइली बहनों को योजना का लाभ न दिये जाने संबंधी सूचना तथा महिला एवं बाल विकास मंत्री का वक्तव्य,

(7) इंजीनियर प्रदीप लारिया, सदस्य की शासकीय इंजीनियरिंग एवं पॉलिटेक्निक कालेजों में छात्रों की प्रवेश संख्या में कमी होने संबंधी सूचना तथा तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार मंत्री का वक्तव्य,

(8) श्रीमती अर्चना चिट्ठीस, सदस्य की शासकीय उद्यू स्कूलों में पदस्थि शिक्षकों के स्थानांतरण न किये जाने संबंधी सूचना तथा स्कूल शिक्षा मंत्री का वक्तव्य,

(9) डॉ. रामकिशोर दोगने, सदस्य की हरदा जिले के रोलगांव स्थित भीलटदेव जन्म स्थली को विकसित न किये जाने संबंधी सूचना तथा राज्यमंत्री संस्कृति का वक्तव्य,

(10) श्री मोंटू सोलंकी, सदस्य की सेंधवा क्षेत्र के ग्राम पंचायत मुहाला में भ्रष्टाचार की राशि वसूल न किये जाने संबंधी सूचना तथा पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री का वक्तव्य,

(11) श्री हेमंत सत्यदेव कटारे, सदस्य की महाविद्यालयीन प्राध्यापकों को स्वीकृत ग्रेड-पे न दिये जाने संबंधी सूचना तथा उच्च शिक्षा मंत्री का वक्तव्य,

(12) श्री बृजेन्द्र सिंह यादव, सदस्य की जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक गुना शाखा चंदेरी द्वारा अमानतदारों की राशि का गबन किये जाने संबंधी सूचना तथा सहकारिता मंत्री का वक्तव्य,

(13) श्री विपीन जैन, सदस्य की प्रदेश के माध्यमिक एवं हाई स्कूलों में शिक्षकों के पद न भरे जाने संबंधी सूचना तथा स्कूल शिक्षा मंत्री का वक्तव्य,

(14) श्री दिनेश राय, सदस्य की सिवनी जिले में विद्युत समस्या का निराकरण न किये जाने संबंधी सूचना तथा ऊर्जा मंत्री का वक्तव्य,

(15) डॉ. अभिलाष पाण्डेय, सदस्य की कौशल विकास संचालनालय का संचालन जबलपुर से न किये जाने संबंधी सूचना तथा राज्यमंत्री तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार का वक्तव्य,

(16) श्री शैलेन्द्र कुमार जैन, सदस्य की सेंट फ्रांसिस संस्था श्यामपुरा जिला सागर द्वारा बच्चों को प्रताङ्गित किये जाने संबंधी सूचना तथा मुख्यमंत्री का वक्तव्य,

(17) श्री प्रदीप अग्रवाल, सदस्य की दतिया जिले में आर.डी.एस.एस. योजनान्तर्गत विद्युत कार्य में अनियमितता होने संबंधी सूचना तथा ऊर्जा मंत्री का वक्तव्य,

(18) डॉ. हिरालाल अलावा, सदस्य की प्रदेश में वन भूमि की रजिस्ट्री न होने संबंधी सूचना तथा राज्यमंत्री वन का वक्तव्य,

(19) श्री विजय रेवनाथ चौरे, सदस्य की प्रदेश में आवारा पशुओं से जनहानि एवं फसलों को नुकसान होने संबंधी सूचना तथा राज्यमंत्री पशुपालन एवं डेयरी का वक्तव्य,

(20) श्री उमाकांत शर्मा, सदस्य की विदिशा जिले में वनों की अवैध कटाई होने संबंधी सूचना तथा राज्यमंत्री वन का वक्तव्य,

(21) सर्वश्री प्रताप ग्रेवाल, हेमंत सत्यदेव कटारे, पंकज उपाध्याय, सदस्यगण की भोपाल, देवास, जावरा, नयागांव तथा लेबड़ मार्ग पर टोल रोड अनुबंध में अनियमितता किये जाने संबंधी सूचना तथा लोक निर्माण मंत्री का वक्तव्य,

(22) श्री फूलसिंह बरैया, सदस्य की अनुसूचित जाति वर्ग के प्रकरणों के निराकरण हेतु सामान्य वर्ग के अधिकारी की नियुक्ति किये जाने संबंधी सूचना तथा मुख्यमंत्री का वक्तव्य,

(23) श्री ओमकार सिंह मरकाम, सदस्य की जबलपुर-अमरकंटक एवं डिण्डोरी-मंडला सङ्क निर्माण के प्राक्कलन ठीक से न बनाये जाने संबंधी सूचना तथा लोक निर्माण मंत्री का वक्तव्य,

(24) श्री उमंग सिंधार, सदस्य की धार, बड़वानी जिले में जल जीवन मिशन कार्य में अनियमितता होने संबंधी सूचना तथा लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री का वक्तव्य,

(25) श्री भूपेन्द्र सिंह, सदस्य की सागर जिले के खुरई अंतर्गत पुराने परिवहन चेक पोस्ट पर स्थायी चौकी बनाकर अवैध वसूली किये जाने संबंधी सूचना तथा परिवहन मंत्री का वक्तव्य,

(26) श्री आरिफ मसूद, सदस्य की प्रदेश में प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाये जाने से नागरिकों में रोष होने संबंधी सूचना तथा ऊर्जा मंत्री का वक्तव्य,

(27) श्री दिनेश गुर्जर, सदस्य की भिण्ड जिले के मुख्य नगरपालिका अधिकारी लहार द्वारा नियम विरुद्ध कार्य किये जाने संबंधी सूचना तथा नगरीय विकास एवं आवास मंत्री का वक्तव्य तथा

(28) श्री महेश परमार, सदस्य की प्रदेश के पुलिस कर्मियों को सप्ताह में एक दिन का अवकाश न दिये जाने संबंधी सूचना तथा मुख्यमंत्री का वक्तव्य.

4. याचिकाओं की प्रस्तुति.

अध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार, दैनिक कार्यसूची में उल्लिखित सदस्यों के सभी याचिकाएं प्रस्तुत हुई मानी गई :-

- (1) श्री फूलसिंह बरैया (जिला-दतिया)
- (2) श्री रजनीश हरवंश सिंह (जिला-सिवनी)
- (3) श्री कैलाश कुशवाह (जिला-शिवपुरी)
- (4) श्री नितेन्द्र बृजेन्द्र सिंह राठौर (जिला-निवाड़ी)
- (5) श्री बाबू जण्डेल (जिला-श्योपुर)
- (6) श्री राजेन्द्र भारती (जिला-दतिया)
- (7) श्री संतोष वरकड़े (जिला-जबलपुर)
- (8) श्री मथुरालाल डामर (जिला-रतलाम)
- (9) श्री सोहनलाल बाल्मीक (जिला-छिंदवाड़ा)
- (10) श्री श्रीकांत चतुर्वेदी (जिला-मैहर)
- (11) श्रीमती सेना महेश पटेल (जिला-अलीराजपुर)
- (12) श्री केदार चिङ्गाभाई डावर (जिला-खरगोन)
- (13) श्री चैन सिंह वरकड़े (जिला-मण्डला)
- (14) श्री नीरज सिंह ठाकुर (जिला-जबलपुर)
- (15) श्री मोन्टू सोलंकी (जिला-बड़वानी)
- (16) डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय (जिला-रतलाम)
- (17) श्री देवेन्द्र रामनारायन सखवार (जिला-मुरैना)
- (18) श्री पंकज उपाध्याय (जिला-मुरैना)
- (19) डॉ. रामकिशोर दोगने (जिला-हरदा)
- (20) श्री सुरेन्द्र सिंह हनी बघेल (जिला-धार)
- (21) श्री विश्वनाथ सिंह पटेल (जिला-नरसिंहपुर)
- (22) श्री प्रताप ग्रेवाल (जिला-धार)
- (23) श्री विसाहूलाल सिंह (जिला-अनूपपुर)
- (24) इंजी. हरिबाबू राय (जिला-अशोकनगर)
- (25) श्री दिनेश गुर्जर (जिला-मुरैना)
- (26) श्री प्रदीप अग्रवाल (जिला-दतिया)
- (27) श्री सचिन सुभाषचंद यादव (जिला-खरगोन)
- (28) श्री प्रदीप पटेल (जिला-मऊगंज)
- (29) डॉ. हिरालाल अलावा (जिला-धार)
- (30) श्री दिनेश जैन बोस (जिला-उज्जैन)
- (31) श्री विपीन जैन (जिला-मंदसौर)

- (32) श्री अभय मिश्रा (जिला-रीवा)
- (33) श्री कालुसिंह ठाकुर (जिला-धार)
- (34) डॉ. सतीश सिकरवार (जिला-ग्वालियर)
- (35) श्री भैंरो सिंह बापू (जिला-आगर-मालवा)
- (36) सुश्री रामश्री राजपूत (जिला-छतरपुर)
- (37) श्री कमलेश्वर डोडियार (जिला-रतलाम)
- (38) श्रीमती झूमा डॉ. ध्यानसिंह सोलंकी (जिला-खरगोन)
- (39) श्री प्रणय प्रभात पांडे (जिला-कटनी)
- (40) श्री सुरेश राजे (जिला-ग्वालियर)
- (41) श्री मधु भाऊ भगत (जिला-बालाघाट)
- (42) इंजी. प्रदीप लारिया (जिला-सागर)
- (43) श्री कामाख्या प्रताप सिंह (जिला-छतरपुर)
- (44) श्री सचिन बिरला (जिला-खरगोन)
- (45) श्री दिनेश राय ‘मुनमुन’ (जिला-सिवनी)
- (46) श्रीमती अनुभा मुंजारे (जिला-बालाघाट)
- (47) श्री विवेक (विक्की) पटेल (जिला-बालाघाट)
- (48) श्री केशव देसाई (जिला-भिण्ड)
- (49) श्री गोपाल सिंह इंजीनियर (जिला-सीहोर)
- (50) श्री हजारीलाल दांगी (जिला-राजगढ़)
- (51) श्री साहब सिंह गुर्जर (जिला-ग्वालियर)
- (52) श्री उमाकांत शर्मा (जिला-विदिशा)
- (53) श्री गौरव सिंह पारधी (जिला-बालाघाट)
- (54) श्री बृजेन्द्र सिंह यादव (जिला-अशोकनगर)
- (55) कुंवर अभिजीत शाह (जिला-हरदा)
- (56) श्री राजन मण्डलोई (जिला-बड़वानी)
- (57) श्री राकेश शुक्ला ‘गोलू’ (जिला-इंदौर शहर)
- (58) श्री शिवनारायण सिंह (जिला-उमरिया)

5. राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर के प्रबंध मण्डल के लिए राज्य विधान सभा के सदस्यों का निर्वाचित संबंधी घोषणा

अध्यक्ष महोदय द्वारा घोषणा की गई कि राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर के प्रबंध मण्डल के लिये राज्य विधान सभा के तीन सदस्यों के निर्वाचित के संबंध में घोषित किये गये कार्यक्रम अनुसार नाम वापसी के पश्चात तीन उम्मीदवार शेष हैं उक्त कृषि विश्वविद्यालय के लिए तीन सदस्य ही निर्वाचित किये जाने हैं।

अतः मैं निम्नानुसार सदस्यों को राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर के प्रबंध मण्डल के लिये सदस्यों को निर्विरोध निर्वाचित करता हूं।

1. श्री बृजेन्द्र सिंह यादव
2. श्री नरेन्द्र सिंह कुशवाह
3. श्री साहब सिंह गुर्जर

6. अशासकीय संकल्प.

(1) डॉ. रामकिशोर दोगने (श्री आशीष शर्मा), सदस्य ने निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत किया कि -

“यह सदन केन्द्र सरकार से अनुरोध करता है कि स्वीकृत जबलपुर व्हाया बुधनी रेल्वे लाईन हरदा से संदलपुर (जिला-देवास) लाईन जोड़ी जाए।”

संकल्प प्रस्तुत हुआ।

श्री राकेश सिंह, लोक निर्माण मंत्री ने उत्तर दिया.

संकल्प सर्वानुमति से स्वीकृत हुआ.

(2) श्री यादवेन्द्र सिंह, सदस्य ने निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत किया कि -

“सदन का यह मत है कि गुना, अशोकनगर, ललितपुर, टीकमगढ़, बुडेरा, छतरपुर मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया जाए.”

संकल्प प्रस्तुत हुआ.

श्री राकेश सिंह, लोक निर्माण मंत्री ने उत्तर दिया.

संकल्प सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ.

7. नियम 267-क के अधीन विषय एवं तत्संबंधी अध्यक्षीय घोषणा

- (1) श्री पंकज उपाध्याय, सदस्य ने अटल प्रोग्रेस-वे (चम्बल एक्सप्रेस-वे) में किसानों की अधिग्रहित की गई भूमि का अधिग्रहण पूर्वानुसार किए जाने,
 - (2) श्री हेमंत सत्यदेव कटारे, सदस्य ने जिला भिण्ड की ग्राम पंचायत निवारी एवं महेवा के विद्युत सब स्टेशन निर्माण होने तथा
 - (3) श्री महेश परमार, सदस्य ने राज्य शिक्षा केन्द्र भोपाल में भ्रष्ट अधिकारियों की विधायक से प्राप्त शिकायत पत्रों पर जांच शुरू करने में विलंब किए जाने,
संबंधी नियम 267-क के अधीन शून्यकाल की सूचनाएं प्रस्तुत की।
तदनंतर अध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार -
 - (4) श्री शैलेन्द्र जैन, सदस्य ने सागर जिला मकरोनिया अंतर्गत गैस माफियाओं द्वारा की जा रही काला बाजारी पर रोक न लगाए जाने,
 - (5) श्री कैलाश कुशवाहा, सदस्य ने शिवपुरी जिले में मंजरा/टोलो को राजस्व ग्रामों में घोषित न किए जाने,
 - (6) श्री प्रताप ग्रेवाल, सदस्य ने प्रदेश के आदिवासी छात्रावासों को सरकारी योजना का लाभ न मिल पाने,
 - (7) श्री लखन घनघोरिया, सदस्य ने जबलपुर स्थित छात्रावासों में छात्रों से भेदभाव पूर्ण व्यवहार एवं पर्याप्त व्यवस्थाएं न होने,
 - (8) श्री राजेन्द्र भारती, सदस्य ने दतिया स्थित क्षतिग्रस्त हुए तालाब/बांध की मरम्मत कराए जाने,
 - (9) डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय, सदस्य ने उज्जैन से जावरा प्रस्तावित नवीन सड़क मार्ग अंतर्गत जावरा नयागांव फोरलेन को भी जोड़े जाने,
 - (10) श्री साहब सिंह गुर्जर, सदस्य ने ग्वालियर जिले में संचालित बापूना एल्कोब प्रा.लि. रायरू फैक्ट्री के वेस्टेज वाटर के कारण स्थानीय किसानों की फसलों को नुकसान होने,
 - (11) श्री सुनील उर्फ़े, सदस्य ने भोपाल में दक्षिण पश्चिम विधानसभा क्षेत्र की झुग्गी बस्ती भीमनगर के निवासरत पट्टेधारी रहवासियों से बिना निश्चित धन राशि जमा कराये एवं बिना दस्तावेज परीक्षण के मकान प्रदाय किए जाने तथा
 - (12) श्री मधु भगत, सदस्य ने विधानसभा क्षेत्र परसवाड़ा में किसानों को मनमाना एवं उपयोग से ज्यादा बिजली के बिल प्रदाय किए जाने
- नियम 267-क के अधीन शून्यकाल की सूचनाएं प्रस्तुत हुई मानी गईं।

8. सदन की कार्यवाही को अनिश्चितकाल के लिये स्थगित किया जाना : घोषणा

इंडियन नेशनल कांग्रेस और भाजपा के अनेक सदस्यों द्वारा अपने आसनों पर खड़े होकर नारेबाजी किए जाने से सदन की कार्यवाही में अत्यधिक व्यवधान के कारण अध्यक्ष महोदय द्वारा अपराह्न 12.28 बजे विधान सभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल तक के लिए स्थगित की गई।